



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2921 वर्ष 2026

कमलावती देवी और एक अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : फूल सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 32/38 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् उप-जिला मजिस्ट्रेट, परगना-बेला, दौलताबाद, तहसील मेहनगर, जिला आजमगढ़ के समक्ष 21.02.2018 को मामला दायर किया गया था, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न है।
2. यह तर्क दिया गया है कि रिपोर्ट मंगाई गई थी लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला की बात सुनी और अभिलेख का परिशीलन किया।
4. इस मामले को देखते हुए और न्याय के हित में भी, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को इस आदेश की प्रमाणित प्रति और दिनांक 21.02.2018 के वाद/आवेदन की फोटोकॉपी, जिसकी प्रति याचिका के पृष्ठ 34 और 35 पर संलग्न है, प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् उप-जिलाधिकारी परगना-बेला, दौलताबाद, तहसील मेहनगर, जिला आजमगढ़। यदि ऐसा है, तो प्रतिवादी संख्या 3 आज से चार महीने की अवधि के भीतर, अत्यंत शीघ्रता और सकारात्मक रूप से इस मामले का निर्णय करेगा।
5. यदि निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, तो इसकी सूचना याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3, उप जिला मजिस्ट्रेट, परगना-बेला दौलताबाद, तहसील मेहनगर, जिला आजमगढ़ द्वारा तत्काल दी जानी चाहिए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

12 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"